...य उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...ा : 124/2018

हरमेश पुत्र श्री रामबिलास जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. प्रवीण पुत्र } रामबिलास }
2. रितु पुत्री } } जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां
3. रामबिलास पुत्र गोपाल }
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री मनोज आर्य
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम यादव
दायरा दिनांकः 01.10.2018 निर्णय दिनांक : 09.10.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 161 खसरा नं0 88/730 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 278 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 547 रकबा 0.06 है, खसरा नं0 549 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 832/89 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 833/499 दक्षिणी रकबा 0.56 है0 किता 9 रकबा 2.85 है0 किस्म नहरी प्रथम ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 262 खसरा नं0 375 रकबा 3.23 है0, खसरा नं0 381 रकबा 0.49 है0, किता 2 कुल रकबा 3.72 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 2 का जन्म से हित निहित है। वादी उक्त आराजी में अपना हिस्स 1/4 का मालिक काबिज काश्त स्वामी है और निरन्तर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के बीच मौखिक बंटवारा के आधार पर अपने–अपने हिस्से की आराजी प्रत्येंक 1/4, 1/4 पर काबिज़ है तथा नियमित रूप से कास्त करते आ रहे है। विवादित आराजी पर मौके पर बंटवारे के अनुसार कच्ची सीमाबंदी हो रही है। जिसको वादी पैतृिक आराजी होने के आधार पर अपने हिस्से को अपने पृथक खाते प्रत्येक वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 के मध्य 1/4, 1/4 दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित की जावें कि विवादित

संख्या 161 किता 9 रकबा 2.85 है0 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल पर हिस्सा 1/4, 1/4 प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाये तथा वादी व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के बीच विवादित आराजी ग्राम बोरदा का बंटवारा उनके मौखिक बंटवारे अनुसार 1/4, 1/4 पृथक खाते रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी कम 4 व 5 को दिया जाये तथा अलग से राजस्व लगान निर्धारित किया जावें। विवादित आराजी खाता संख्या 262 किता 2 रकबा 3.72 है0 ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल पर हिस्सा 1/4, 1/4 पर वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 के बीच मद नम्बर 3 में वर्णित विवादित आराजी ग्राम किशनपुरा का बंटवारा उनके मौखिक बंटवारे अनुसार 1/4, 1/4 पृथक खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी कम 4 व 5 को दिया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.10.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने दिनांक 03.10.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 द्वारा दिनांक 03.10.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं निवेदन किया है कि वाद वादी स्वीकार है एवं उक्त वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जिसके हम वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्से के हकदार है। विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में खातेदार रामबिलास के पास वादी, हरमेश, प्रवीण तथा रितू का नाम बराबर 1/4–1/4 हिस्से पर सम्पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना अतिआवश्यक है तथा न्यायालय में विवादित आराजी बोरदा तथा किशनपुरा से वादी तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 का बराबर 1/4–1/4 हिस्सा होने से खातेदार कृषक घोषित करवाने में कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण से विवादित आराजी ग्राम किशनपुरा एवं बोरदा से बराबर 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करने में कोई आपत्ती नही है। वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड खाता सं0 161 ग्राम बोरदा रकबा 2.85 है0 व खाता संख्या 262 किशनपुरा की रकबा 3.72 है0 वादी एवं प्रतिवादी गण को बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व लगान निर्धारित कर खाते का बंटवारा कर दिया जावें, तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जावें। प्रकरण के संदर्भ में प्रतिवादीगण कमश रामबिलास पुत्र गोपाल, वादी हरमेश पुत्र रामबिलास व रितु पुत्री रामबिलास के दिनांक 08.10.2018 को बयान करकाये गये। बयानो में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 ने विवादित आराजी में प्रत्येक का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज किये जाने में सहमति जतायी है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 08.10.2018 को वादी के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस तथा वादी

क्र 1 ता 3 द्वारा इकबालिया जवाब के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश है कि ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां कि आराजी आराजी खाता संख्या 161 खसरा नं0 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 190 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 278 0.18 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 547 रकबा 0.06 है, खसरा नं0 549 रकबा 0. है0, खसरा नं0 832/89 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 833/499 दक्षिणी रकबा 0.56 है0 किता 9 रकबा 2.85 है0 किस्म नहरी प्रथम व ग्राम किशनपुरा की आराजी खाता संख्या 262 खसरा नं0 375 रकबा 3.23 है0, खसरा नं0 381 रकबा 0.49 है0, किता 2 कुल रकबा 3.72 है0 किस्म नहरी प्रथम में वादी हरमेश पुत्र श्री रामबिलास जाति मीणा का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 1 प्रवीण पुत्र रामबिलास जाति मीणा का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 2 रितु पुत्री रामबिलास जाति मीणा का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 3 रामबिलास पुत्र गोपाल जाति मीणा का हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेशि दिये जाते है। खातेदार रामबिलास के साथ राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 161 ग्राम बोरदा तथा खाता संख्या 262 ग्राम किशनपुरा में हरमेश, प्रवीण पुत्रान रामबिलास तथा रितु पुत्री रामबिलास का नाम बतौर सहखातेदार 1/4–1/4 दर्ज किया जाये। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन